

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर

क्रमांक २११ - २१३

दिनांक ५/६/१९

प्रधान सम्पादक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी समाचार पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स

विषय :- विज्ञापन भुगतान हेतु समय पर बिल प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त संबंध में प्रायः देखा गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन प्रकाशन उपरांत लम्बे समय तक भुगतान हेतु बिल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। फलस्वरूप विज्ञापन भुगतानों में विलम्ब होता है एवं समय पर बजट का उपयोग भी सुनिश्चित करने में विभाग को कठिनाई उत्पन्न होती है। भुगतान व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सभी समाचार पत्र विज्ञापन भुगतान बिल विज्ञापन प्रकाशन के 7 दिवस के उपरांत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि भुगतान समय पर किया जा सकें।

समय पर बिल प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भुगतान विलम्ब की जिम्मेदारी संबंधित समाचार पत्र की ही होगी।

कृपया सूचित रहे एवं भुगतान हेतु बिल निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।



आयुक्त

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (इले. मी.)/सहायक निदेशक (विज्ञापन)
2. लेखाधिकारी
3. विज्ञापन भुगतान शाखा

५ अगस्त २०१९


वित्तीय सलाहकार
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग